फर्द अहकाम
न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री हार्दिक | विपक्षी :– राज्य

किस्म मुकदमा – 136 भू रा.अधि. | पत्रावली संख्या : 117/25

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 16.07.2025 पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। प्रार्थी एवं राजपेरोकार उपस्थित। प्रार्थी एवं राजपेरोकार की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के भाई का नाम नैधिक पिता मुकेश कुमार एवं हर्षन पिता मुकेश कुमार गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में नैतिक एवं हर्षल के आधार कार्ड की प्रति, प्रार्थी का 50/– रूपये स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रार्थी के भाई का नाम नैतिक पिता मुकेश कुमार एवं हर्षल पिता मुकेश कुमार अंकित होना जाहिर होता है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि हर्षन और हर्षल तथा नैतिक और नैधिक में बहुत कम अन्तर होकर लिपिकीय त्रुटि होना प्रतीत होता हैं। अतः राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के भाई का नाम गलत अंकित होने से उसे सही किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: आदेश :–** परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा थामला पटवार हल्का थामला तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 411 पर दर्ज आराजीयात भूमि में खातेदार नैधिक पिता मुकेश कुमार के बजाय नैतिक पिता मुकेश कुमार एवं हर्षन पिता मुकेश कुमार के बजाय हर्षल पिता मुकेश कुमार संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:58:13 IST
Reason: SelfAttested